

‘हर 10 कि.मी. दूरी पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराएगी सरकार’

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र सिंह खींवर ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, मानव संसाधन, दवा-जांच सुविधाओं और मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की।

खींवर ने कहा कि प्रदेशवासियों को घर के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक 10 किलोमीटर पर सब-सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न संवर्गों में 50 हजार सेंटर, प्रसव सुविधा वाले स्वास्थ्य केन्द्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने चिकित्सा संस्थानों के भवनों की सुरक्षा के लिए संस्था प्रभारियों की जिम्मेदारी तय करने तथा 3 माह में सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए।

‘23 लाख पांडुलिपियों का सर्वे, 1.24 लाख को डिजिटाइज्ड किया’

जयपुर । भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के “ज्ञान भारतम मिशन” के तहत सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आरआईसी) ज्ञालाना में पाण्डुलिपि डिजिटलीकरण कार्यशाला आयोजित हुई। उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन तथा कला-संस्कृति मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पाण्डुलिपियां केवल अतीत को कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की प्रेरणा हैं। प्राचीन ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़ना विकसित भारत की शक्ति है। कार्यशाला में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास भी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राजस्थान में राजकीय व निजी संग्रह, पुस्तकालयों, मंदिरों और मठों से करीब 23 लाख पाण्डुलिपियों का सर्वे किया गया है, जिनमें से 1.24 लाख का डिजिटलीकरण हो चुका है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रत्येक पाण्डुलिपि को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्राचीन ग्रंथ और दस्तावेज महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों के संस्कृत विभागों को साथ लेकर तालपत्रों के संरक्षण, संस्कृत शब्दावली तैयार करने, विभागों में समन्वय बढ़ाने और युवाओं को शोध के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया।

रिटायर्ड एडीजी से 2.1 2 करोड़ रु. की डिजिटल अरेस्ट ठगी का आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ने मात्र 5-6 हजार रुपए के कमीशन में बेच दिया था बैंक खाता

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर। सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, राजस्थान की टीम ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआर) के सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) से 2.12 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट ठगी के मामले में छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चौमूं निवासी साहिल कुमार सुरेला को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 5-6 हजार रुपए के कमीशन के बदले अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध कराया था। पुलिस अब तक मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। फिलहाल आरोपी से पृष्ठताछ की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम विजय कुमार सिंह ने बताया कि जयपुर निवासी सेवानिवृत्त एडीजी ने रिपोर्ट में बताया कि 9 से 18 अगस्त 2026 के बीच ठगों ने मोबाइल और व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को पुलिस और केंद्रीय सरकारी



आरोपी साहिल कुमार

एजेंसियों का अधिकारी बताते हुए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने, गिरफ्तारी वारंट जारी होने और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसेना का डर दिखाया।

ठगों ने उन्हें लगातार वॉट्सएप वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा और लाइव लोकेशन चालू रखने के साथ किसी से संपर्क नहीं करने की हिदायत दी। फर्जी सरकारी पत्र और गिरफ्तारी वारंट भेजकर बैंक खातों की जांच के

■ गिरफ्तार बदमाश ने अपने आधार नंबर में भी ठग का मोबाइल नंबर अपडेट कराया था

नाम पर रकम ट्रांसफर करने का दबाव बनाया गया। डर के चलते पीड़ित ने 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के खाते में 2.02 करोड़ रुपए और 18 अगस्त को यस बैंक के खाते में 10.10 लाख रुपए के जरिए जमा करा दिए। इस तरह कुल 2 करोड़ 12 लाख 10 हजार रुपए की ठगी हुई। जांच के दौरान पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट, सीडीआर और केवाईसी दस्तावेजों की पड़ताल की। इसमें ठगी की रकम का एक हिस्सा साहिल कुमार सुरेला के आईडीएफसी फस्ट बैंक खाते में पहुंचना सामने आया।

पृष्ठताछ में साहिल ने बताया कि उसकी मुलाकात रवि कुमार घोसल्या से हुई थी। रवि ने अपना बैंक खाता बंद

गुमनाम रहकर बाल यौन शोषण सामग्री फैलाने वालों की खैर नहीं : एडीजी वी.के.सिंह

जयपुर (कास)। बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री (सीएसईएम) के प्रसार के खिलाफ राजस्थन पुलिस साइबर क्राइम ब्रांच ने बड़ा अभियान शुरू किया है। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए ऐसी सामग्री देखना, डाउनलोड करना, रखना या साझा करने वालों पर पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देश यूआरएल/सोशल मीडिया प्रोफाइल, 15 हजार 326 मोबाइल नंबर और 100 डिवाइस चिन्हित कर ब्लॉक करवाए गए हैं।

एनसीएमईसी की टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर चूरू, नागौर, अलवर, खैरथल-तिजारा, सोकर, हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं।



एडीजी वी. के. सिंह

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम वीरेंद्र सिंह ने बताया कि तकनीकी विशेषण और एनसीएमईसी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल ट्रेल की पहचान की जा रही है। इसके बाद संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और दूरसंचार सेवा

प्रदाताओं को जानकारी देकर आपत्तिजनक लिंक, प्रोफाइल और मोबाइल नंबर ब्लॉक करवाए जा रहे हैं।

टेलीग्राम-डिस्कॉर्ड के ग्रुप

बने माध्यम पुलिस के अनुसार सीएसईएम के प्रसार के लिए टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पर गुप्त या पेड ग्रुप और चैनल बनाए जाते हैं। इनमें लोग फर्जी अथवा गुमनाम पहचान के साथ जुड़कर आपत्तिजनक सामग्री का आदान-प्रदान करते हैं।

कई मामलों में सामग्री निजी संदेशों के जरिए भेजी जाती है, जबकि गुगल ड्राइव या अन्य क्लाउड स्टोरेज पर सामग्री अपलोड कर केवल उसका लिंक साझा किया जाता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कार्रवाई से बचने के लिए सोशल मीडिया पर कोडेड शब्दों और हैशटैग का इस्तेमाल भी करते हैं। कई बार इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सामान्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क शुरू करने के बाद बातचीत को अपेक्षाकृत कम निगरानी वाले प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है।

तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि माता-पिता में तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट पर उसके पिता का नाम लिखना अनिवार्य नहीं है। यदि बच्चे की कस्टडी मां के पास है और पिता ने बच्चे से सभी रिश्ते खत्म कर लिए हैं तो बच्चे के पासपोर्ट पर केवल मां का नाम लिखना ही पर्याप्त है।

इसके साथ ही अदालत ने पासपोर्ट ऑफिस के 13 मई 2024 का वह आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें बच्चे के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए पिता के नाम का एक शपथ पत्र देने के लिए कहा था। अदालत ने पासपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं कि एक महीने में पिता का नाम लिखे बिना केवल मां के नाम के साथ बच्चे का पासपोर्ट का नवीनीकरण कर जारी करें।

कांग्रेस की स्थिति “खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे” वाली : मदन राठौड़

जयपुर । भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन को “खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे” वाली स्थिति बताया। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत पा रही तो वह संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने में जुट गई। आश्चर्य है कि कांग्रेस जहां चुनाव जीतती है, वहां अपनी पीठ धथथपाती है और जहां चुनाव हारती है, वहां हार का टीकारा बर्बाए, एएसआईआर और चुनाव आयोग पर फोड़ती है। कांग्रेस जिसने कभी जनता के बीच जाकर काम नहीं किया, और अब बिना सत्ता के कूटपट्टा रही है। उनकी लगातार ही रही हार के चलते कांग्रेसी नेता कुंठित हो गए और हताशा, निराशा में इस तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि कांग्रेस की निकाय चुनावों में हुई हार के बाद आपसी सिर-फुटव्वल बाहर आ रही है। गहलोल डोटासरा पर तो उनके जिलाध्यक्ष अपने ही विधायकों के खिलाफ गुस्सा उतार रहे हैं, जो अब सड़कों पर आ गया। अंदरूनी रूप से बिखर चुकी कांग्रेस पार्टी में अब कुछ बचा ही नहीं, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए और सुखियों में बना रहने के लिए अनगलं बयानबाजी, बिना कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर में किए गए प्रदर्शन में उनके नेता तो नजर आए लेकिन कार्यकर्ताओं का अभाव ही नजर आ रहा था। कांग्रेस के पास अब ना तो कोई नीति है और ना ही कोई मजबूत विजन है।

बिजनेसमैन को मारने की धमकी देकर एक करोड़ रु. रंगदारी मांगी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । जवाहर सर्किल थाना इलाके में एक बिजनेसमैन को वॉट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देने और एक करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जयपुर नगर निगम चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बिजनेसमैन को धमकाया गया। धमकी देने के लिए जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया, वह टूकॉलर पर पटवारी रविन्द्र कुमार महावर के नाम से प्रदर्शित हुआ। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

जांच अधिकारी एसएसआई किशन लाल ने बताया कि बस्सी निवासी बिजनेसमैन का ऑफिस जवाहर सर्किल क्षेत्र स्थित गोकुल वाटिका में है। पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 18 सितंबर की दोपहर को वह ऑफिस में बैठा था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने चार दिन में एक करोड़ रुपए मांगे और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी ने धमकाते हुए कहा कि 4 दिन में उसके बताए स्थान पर एक करोड़ रुपए पहुंचा देना, अन्यथा चार दिन के अंदर जान से मार दिया जाएगा। बच्चों के अनाथ होने की धमकी देते हुए कहा गया कि चार दिन की ज़िंदगी जी ले, पांचवां दिन नहीं देख पाएगा। धमकी भरा कॉल आने के बाद

जस्टिस मनीष शर्मा ने यह निर्देश बच्चे की अपने मां के जरिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।याचिका में अधिवक्ता अर्चित बोहरा ने बताया कि याचिकाकर्ता 14 साल का नाबालिग बच्चा है। उसके माता-पिता की शादी जून 2010 में हुई थी। आपसी सहमति से उनके बीच तलाक हो गया और अक्टूबर 2017 में तलाक की डिक्री में उसकी कस्टडी मां को दी गई।

इस दौरान साल 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट सिंगल पेरेंट के तौर पर बनवाया, जो 7 मई 2024 तक वैध था। उसमें केवल याचिकाकर्ता की मां का नाम लिखा था। याचिकाकर्ता की मां ने याचिकाकर्ता के पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो पासपोर्ट ऑफिस ने 13 मई 2024 के

आदेश से उसे पिता के नाम का शपथ पत्र देने के लिए कहा। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2019 में याचिकाकर्ता का पासपोर्ट पिता का नाम दर्ज किए बिना जारी हो चुका है तो नवीनीकरण के समय पिता के नाम को जरूरी करना सही नहीं है।

इसके जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि पासपोर्ट मैनुअल प्रावधानों और विदेश मंत्रालय के 28 फरवरी 2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार शादीशुदा माता-पिता से पैदा नाबालिग बच्चे के मामले में दोनों जैविक अभिभावक के नाम उपलब्ध कराना जरूरी है, चाहे बाद में उनका तलाक हो गया हो। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने कहा है कि तलाक के बाद बच्चे के पासपोर्ट में पिता का नाम अनिवार्य नहीं है।



जयपुर । ऑल राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (एयारयूटीए) के अध्यक्ष प्रो. बी.डी. रावत एवं उपाध्यक्ष प्रो. मधुसूदन के नेतृत्व में वरिष्ठ शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त कुलपति प्रो. बी.पी. सारस्वत से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों एवं पेंशनरों की लंबित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को बताया कि 29 नवंबर 2018 के उच्चमन न्यायालय के निर्णय के अनुसार 98 वरिष्ठ शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से करियर एडवॉंसमेंट स्कीम (सीएसए) का लाभ दिया जाना है। विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग, यूजीसी दिशा-निर्देश, राज्य सरकार के निर्देश और चयन समिति की प्रक्रिया के बाद इन शिक्षकों को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया जा चुका है तथा सिंडिकेट ने 21 सितंबर 2021 को पदोन्नित पत्र जारी किया थे। विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की समीक्षा याचिकाएं भी 5 नवंबर 2019 को खारिज हो चुकी हैं। बैठक में प्रो. मीनाक्षी चतुर्वेदी, प्रो. बी.एल. गुप्ता, प्रो. अनिल बंसल एवं प्रो. आर.के. गुर्जर ने विश्वविद्यालय की समस्याओं में सुधार के सुझाव दिए। प्रो. बी.डी. रावत ने पेंशनरों को व्यवस्थित ढिलाने की मांग भी रखी। अंत में प्रो. मधु भट्ट एवं प्रो. सोमना दत्तने कुलपति का आभार जताया।



जयपुर । राजस्थान विश्वविद्यालय के आर.ए. पोद्दार प्रबंधन संस्थान (आरएपीआईएम) में विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लिए एक-सप्ताह के अनुभवात्मक शिक्षक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों से 250 से अधिक शिक्षक-शिक्षकों की कार्यक्रम में सहभागिता रही। आयोजन वीवीयूएसएस ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), आईयूसीटीई-बीएचयू और आरएपीआईएम के सहयोग से किया। आरएपीआईएम निदेशक प्रो. अनुराग शर्मा ने कहा कि कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अनुभव, अवलोकन, संवाद एवं चिंतन के माध्यम से शिक्षण क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया। प्रो. कैलाश चंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में विद्यार्थी-केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षा को महत्वपूर्ण बताया। प्रो. संजय शर्मा, प्रो. जे.एन. बालिया, डी. रामकृष्ण राव, भरत भाई ढोकाई सहित विशेषज्ञों ने पंचकोश आधारित समग्र विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, पंचपदी शिक्षण पद्धति और निरंतर व्यावसायिक विकास पर विचार रखे। सम्पन्न सत्र में एमआईटीआरए मोबाइल ऐप एवं इमप्लीमेंटेशन हैडबुक की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों ने आवॉरेटिड विद्यालयों में कक्षा-अवलोकन एवं अनुभवात्मक गतिविधियों में सहभागिता की।

414 करोड़ रु. के मृत्यु दावों का निपटारा
जयपुर । आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में 99.31 प्रतिशत का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दर्ज किया। कंपनी के अनुसार, आधिकारिक आंकड़ों (फॉर्म एल-39 और एल-40) के आधार पर यह भारत की प्रमुख जीवन बीमा कंपनियों में सर्वाधिक है। इस अवधि में कंपनी ने 414.08 करोड़ रुपए के व्यक्तिगत मृत्यु दावों का निपटारा किया। कंपनी के अनुसार, प्रमुख जीवन बीमाकंपनीओं में वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में उसका प्रति दावा औसत मृत्यु करीब 15 लाख रुपए रहा, जो सर्वाधिक है। बिना जांच वाले मामलों में अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से क्लेम निपटारने का औसत समय केवल एक दिन रहा। आईसीसीआईआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरंस के चीफ-अंडरराइटिंग एंड रिटेल क्लेम्स सारंग गोखले ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि “क्लेम फॉर श्योर” पहल के तहत पात्र दावों में करीब 75 करोड़ रुपए का भुगतान एक ही दिन में किया गया।